-:निर्णयः-

दिनांक 18/07/2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 10 एमजेडडब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 135 के पत्थर नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/.164, 24/2/.164, 25/2/.153 व पत्थर नं0 171/371 (25) किला नं0 3 से 5 कुल 1.240 हैक्टयर भूमि अनकमाण्ड मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें मुझ वादी का 0.373 हैक्टयर भूमि का हिस्सा है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि प्रश्नगत् भूमि राजस्व अभिलेख में मुश्तरका खाता में दर्ज है, लेकिन वादी व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी व किस्म कीमत के लिहाज से व रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्सा दराज पूर्व अपने हक हिस्सा की भूमि का घराघरू बंटवारा किया हुआ है व घराघरू बंटवारानुसार वादी को चक 10 एम जेड डब्लयु के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/.056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2/.164, 25/2/.153 कुल .373 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई है व वादी घराघरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में मुश्तरका दर्ज होने से उक्त आराजी के सींव वट आदि बाबत विवाद रहता है जिससे वादी अपने हक व हिस्सा की घरू बंटवारा में प्राप्त चक 10 एम जेड डब्लयु के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/.056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2/.164, 25/2/.153 कुल .373 हैक्टयर भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम से अलग-अलग खाता व रकम कायम करवाना चाहता हैं जिसका कि वादी अधिकारी व दावेदार है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे मुताबिक घराघरु बंट्वारा राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम 10 एमजेडडब्लयु में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 इस भूमि का भू-धारक है। जिससे उन्हे पक्षकार बनाया गया है। कि वाद-पत्र वादी बाबत तकसीम खाता का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः-

क) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार वादी को विभाजन में प्राप्त चक 10 एमजेडडब्लयु के प0नं0 171/370 (20) किला नं0 23/2/.056 (किला नं0 24 से चिपती हुई) किला नं0 24/2/.164, 25/2/.153 कुल 0.373 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी के नाम अलग से खाता व रकम कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट उपरांत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस वादी पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी पक्ष अपने कब्जा काश्त के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही कर पाए। इसलिए वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार हनुमानगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है किः- चक 10 एमजेडडब्ल्यू खाता सं. 135 में दर्ज तादादी 1.240 हैक्टेयर आराजी में दर्ज खातेदारो/सहखातेदारों की उपस्थिति में विधि सम्मत पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर समस्त सह-काश्तकारों के हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी-मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर, आगामी तारीख पेशी 07.08.2025 तक भिजवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को अलग से तहरीर जारी हो। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ